2025/734

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

गणपतराम आदि बनाम तहसीलदार धोद

किस्म मुकदमा 131व 136 भू.रा. मु.नं. 362 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा – पत्र	
15/09/25	प्रार्थीगण गणपतराम, भागीरथ प्रसाद पुत्रगण नन्दाराम जाति जाट निवासीगण ग्राम मुकन्दपुरा तहसील धोद जिला सीकर द्वारा आवेदन विषयक जमाबंदी व नक्शा दुरूस्ती करने बाबत के अनुसार "ग्राम मुकन्दपुरा पटवार हल्का पेवा तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित खसरा सं. 354/66 रकबा 0.4000 हेक्टेयर व खसरा सं. 358/66 रकबा 0.7500 हेक्टेयर किस्म बारानी–। प्रार्थीगण के खाते में दर्ज है। प्रार्थीगण के द्वारा उक्त वर्णित दोनों खसरों में मौके पर प्रचलित रास्ते को नक्शा एवं राजस्व रिकॉर्ड में पुख्ता कटानी गै.मु. रास्ता दर्ज करवा दिया है। परन्तु नामान्तरकरण सं. 685 को ऑनलाईन करते समय सहवन से खसरा सं. 354/66 में रास्ते के उत्तर दिशा में नया खसरा सं. 510/354 रकबा 0.0400 हेक्टेयर गलत तरमीम कर दिया गया। उक्त खसरा सं. 358/66 का ही भाग है। अतः उक्तानुसार खसरा व रकबा को राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी व नक्शा में तरमीम दुरूस्त की जावें।" उक्त आवेदन के संबंध में तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1537 दिनांक 01.08.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसका अवलोकन किया गया। जो कि मुताबिक प्रार्थीगण के अनुतोष के अनुसार सही है। अतः मुताबिक तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाना उचित है। प्रकरण अ.धारा 131, 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें। अतः तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1537 दिनांक 01.08.2025 द्वारा प्रस्तुत उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम मुकन्दपुरा पटवार हल्का पेवा तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित खसरा सं. 510/354, 512/354, 510/354, 513/358 के संबंध तरमीम दुरूस्ती तहसीलदार की उक्त रिपोर्ट के साथ संलग्न पटवार हल्का व भू.अ. नि. की संयुक्त रिपोर्ट दिनांकित 21.07.2025 में दर्शित नजरी नक्शा के अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार मौके के अनुसार तरमीम व रकबा ऑनलाईन/ऑफलाईन नक्शे व राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में दुरूस्त किया जावें। उक्त की पालना करते समय यह ध्यान में रखा जावें कि उक्त तरमीम दुरूस्ती करने से किसी भी सीमा से लगते हुये प्रार्थीपक्ष/खातेदारान के खसरानों के अलावा अन्य खसरानों के रकबे व स्थिति में परिवर्तन नहीं हों। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदारान जिम्मेदार होगें। तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1537 दिनांक 01.08.2025 के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। आदेश सुनाया गया। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को भेजा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। उपखण्ड अधिकारी, धोद, जिला सीकर उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.09.17 17:25:17 IST
Reason: SelfAttested